क्रमांक 3610-3 जी0 एस0 1-71/21438

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी
2. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, पंजाब तथा हरियाणा चण्डीगढ़ तथा जिला और सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 21 जुलाई, 1971

विषयः- विधान के नियम 311(2) की शर्त (सी) -राज्य की सुरक्षा के हित में जांच का करवाना ठीक नहीं है- राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि सरदारी लाल बनाम भारत सरकार तथा दूसरे के केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21-1-71 (सिविल अपील नं 576 आफ 1969) को प्रति भेजूं और कहूं कि जैसा इस निर्णय पता चलता है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, कि विधान के नियम 311(2) की शर्त (सी) की धारा में जो functions दिए हुए हैं, राष्ट्रपति उसे किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते तथा उन्हें निजी रुप में इस बात पर सन्तुष्ट होना चाहिए कि जो जांच नियम 311(2) के अधीन निर्धारित है, वह राज्य की सुरक्षा के हित में करना ठीक नहीं है । इस निर्णय का आशय यह होगा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के केसों में नियम 311 (2) की शर्त (सी) के अधीन जब कभी कार्यवाही करनी हो, तो राज्यपाल को इस बारे में निजी रुप से सन्तुष्ट होना चाहिए ।

2. उपर दी गई कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी राज्य के किसी सरकारी कर्मचारी को नियम 311(2) की शर्त (सी) के अधीन बिना जांच के सेवा से पदच्यूत करना हो, हटाना हो या जबरदस्ती रिटायर करना हो, तो राज्यपाल के आदेश अवश्य प्राप्त करने चाहिए । इस प्रयोजन के लिए स्वतः स्पष्ट नोट तैयार करके राज्यपाल को कार्यभारी मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री की मार्फत भेजा जाए । इस स्वतं स्पष्ट नोट के साथ सब कागजात जिन में हर प्रकार के आवश्यक तथ्य हों, राज्यपाल को भेजा जाए जिसके आधार पर उनकी तसल्ली हो सके कि कानून की सारी आवश्यकता पूरी होती है और इस केस में जांच का किया जाना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है ।

3. मैं निवेदन करता हूं कि यह हिदायतें दृढ़तापूर्वक अमल में लाने के लिए नोट कर ली जाएं, और इस पत्र को पावती भी भेजें ।

भवदीय

हस्ताः

उप सचिव राजनैनिक एवं सेवाएं,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

वित्तायुक्त राजस्व, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा ।